



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/394

दिनांक: -26/06/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (7) कम्पनियों का नाम **पंजाब** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA8332007	U62013PB2023PTC060049	रूटली एआई टेक प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8596307	U17020PB2023PTC059970	एक्सोटिक प्रिंट टेक प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8497359	U74909PB2023PTC057946	एमडी वीजा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA8002833	U74999CH2022PTC044657	संगमा स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8453342	U45309CH2021PTC043433	एवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8390056	U74999CH2020PTC043269	फालकिन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8384748	U65921PB1993PLC013419	सुनाम इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्टार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्टार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्टार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्टार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्टार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र